कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मैनपुरी

पत्रांक 2174 /14–1 दिनांक:मैनपुरी:फरवरी 03/,2018

सेवा में,

महाप्रबन्धक सह परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
47 एवं 48 ड्रीम सिटी कालोनी
(बाल जीवन घुट्टी के सामने) जी0टी0 रोड
सारसौल, अलीगढ़–202001 (उ0प्र0)।

विषयः– जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अलीगढ़ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 91 अलीगढ़ से कानपुर के किमी0 229.00 से 289.00 (कल्याणपुर से नवीगंज) तक मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण के निर्माण में प्रभावित होने वाले 97.896 हे0 संरक्षित वन का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11377 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पं0 8B/UP/06/13/2018/FC/184 दि0 28–02–2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र, लखनऊ का पं0 2977/मैनपुरी/24596/2018 दिनॉक 06–03–2018 ।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा आपत्तियॉ लगाई गई है । अतः आप किसी प्रतिनिधि को अधिकृत कर प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ0प्र, लखनऊ कार्यालय से प्राप्त कर उस पर अपने विभाग से अपेक्षित आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे प्रस्ताव की समस्त आपत्तियों का निराकरण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकें ।

संलग्नकः– सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

पत्रॉक 2174 /6-3-2018 दिनॉकित

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

land trans..doc